

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.16(3)चि.स्वा./ग्रुप-2/2017


जयपुर, दिनांक : 01.12.2017

आदेश

राज्य सरकार एवं सेवारत चिकित्सक संघ के बीच दिनांक 12.11.2017 को हुए समझौते के बिन्दु संख्या 12 के संदर्भ में नीम हकीमों के विरुद्ध राज्य में पुख्ता कार्यवाही किये जाने के लिए मुख्यालय पर निम्न सैल का गठन किया जाता है:-


1. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक, द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।

उक्त सैल समय-समय पर निरीक्षण कर नीम हकीमों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायेगी एवं सैल में नीम हकीमों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करेगी।


(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर।
4. औषधि नियंत्रक, द्वितीय, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।


शासन उप सचिव